न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 1073/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 398/2026

CNR No–UPGZ010025632026

विशाल कुमार पुत्र महेश निवासी कृष्णा नगर बागू वाली एच०पी० पैट्रोल पम्प वाली गली थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 344/2025
धारा 80(2),85 BNS
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

05–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **विशाल कुमार** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार विमलेश देवी का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादनी मुकदमा की बेटी रानी उर्फ आरती ने अपनी मर्जी से गांव शेखूपुर कोवताली निवासी विशाल के साथ प्रेम विहार किया था। इस प्रेम विवाह से विशाल के परिजन खुश नहीं थे और न ही हम लोग चाहते थे कि इस आवारा किस्म के युवक से वह शादी करें। मगर दोनो के बीच शादी की जिद को देखते हुए अपनी अनुमति दे दी। करीब एक वर्ष पहले हुए इस प्रेम विवाह से विशाल की मां विमला देवी व उसक सभी परिजन खुश नहीं थे। उसकी बेटी और विशाल विजयनगर बाईपास एच पी पैट्रोल पम्प के पास जिला गाजियाबाद में एक मकान में किराये पर रहकर मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। मगर विशाल की मां विमला देवी फोन पर अपने बेटे को उसकी बेटी को मारने के लिये प्लान बनाती रहती थी। यह बात उसकी बेटी ने फोन पर कई बार सम्भावना प्रकट की थी। बेटी के साथ कोई अनहोनी घटना न हो रही हो वह अपनी बेटी की राजी खुशी फोन पर लेती रहती थी। गत 8 अगस्त की शाम को उसने अपनी बेटी के मोबाईल नम्बर 7300524063 पर राजी खुशी लेने के लिये फोन लगाया तो उसके फोन से कोई उत्तर

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.09 16:09:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं मिला। अनहोनी की आशंका को देखते हुए वह लगातार फोन लगाती रही, मगर बात नहीं हो सकी। 9 अगस्त की रात ढाई बजे विशाल का फोन आया और बताया कि रानी उर्फ आरती के पेट में दर्द उठा हैं उसको गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हम लोग सुबह को गाजियाबाद गये तो उसकी बेटी मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। जीवित होने की उम्मीद में उसे अलीगढ गीतांजली अस्पताल लेकर आए जहां बताया कि रानी उर्फ आरती को जबरन जहरीला पदार्थ खाने को मजबूर किया। 8 अगस्त की शाम करीब 5.00 बजे जहर दिया गया और उसकी सूचना विशाल ने अपनी मां को फोन पर तत्काल दी, मगर हमको रात ढाई बजे बताया गया। इससे साफ हैं कि उसकी बेटी को रास्ते से हटाने के लिये उसकी बेटी के पति विशाल, सास विमलेश देव, ससुर महेश, शिवम, नेहा, मुसिया सास रानीदेवी ने मिलकर उसकी बेटी की कूटरचित तरीके से जहर देकर हत्या की हैं।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य तर्क यह दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी, परन्तु विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। अभियुक्त ने प्रेम विवाह के बाद अपने परिवार से अलग विजयनगर में निवास किया जहां पर दोनो एक साथ रहते थे। अभियुक्त दिनांक 10–01–2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। इस स्तर पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने वादनी मुकदमा की बेटी को प्रताडित किया तथा तंग व परेशान कर उसकी मृत्यु कारित की गई। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादनी मुकदमा की पुत्री/मृतका से प्रेम विवाह करने के उपरान्त अपने परिवार से अलग विजयनगर में किराये पर रहने के दौरान अपनी मां के साथ मिलकर मृतका को तंग व परेशान करना एवं जबरन उसे जहर खाने को मजबूर करना तथा उसकी मृत्यु होना अभिकथित किया हैं। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादनी मुकदमा ने अपने बयान धारा 180 BNSS में अभियुक्त द्वारा अपनी मां विमलादेवी के साथ मिलकर उसकी पुत्री की हत्या करने का प्लान करना, दहेज की मांग करना तथा उसकी पुत्री को जहर देना कहा गया हैं। गीतांजली अस्पताल,अलीगढ के लेटरपैड पर वर्णित अभियुक्त द्वारा किये गये कथन में मृतका द्वारा दिनांक 08–08–2025 को शाम 4.00 बजे चूहे मारने की दवा का सेवन करना कहा गया है। चिकित्सक रितू गुप्ता द्वारा धारा 180 BNSS के तहत दिये गये बयान में कथन किया हैं कि मृतका द्वारा चूहे मारने की दवा का सेवन करने पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा० आशीष कुमार सिंह ने यह कथन किया है कि मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर

उसका बिसरा प्रीजर्व किया गया, विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका हैं। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हैं और मृत्यु से पूर्व मृतका से दहेज की मांग करना कहा गया हैं। इस स्तर पर अभियुक्त की प्रस्तुत अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध संकलित साक्ष्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विशाल कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 05–03–2026

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।